

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

क्रमांक/ 1614 / 2020 / 50  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक: 21 / 03 / 2020

- |                                                              |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. आयुक्त<br>संचालनालय, महिला एवं बाल<br>विकास               | 2. समस्त संभागायुक्त,<br>छत्तीसगढ़                                                     |
| 3. समस्त कलेक्टर,<br>छत्तीसगढ़                               | 4. जिला कार्यक्रम अधिकारी,<br>जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,<br>जिला - समस्त (छ.ग.) |
| 5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,<br>परियोजना- समस्त जिला-समस्त |                                                                                        |

**विषय :-** नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।

**संदर्भ :-** विभागीय पत्र क्रमांक 10/2019-20 दिनांक 13.03.2020।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/- WHO के अनुसार नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो वर्तमान में पूरे विश्व में महामारी का रूप ले रही है जिसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उक्त अवधि में आंगनवाड़ी केन्द्र के 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के सामान्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम रेडी टू ईट के पैकेट टेकहोम राशन का अनिवार्य रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करें, शेष हितग्राहियों को पात्रतानुसार THR (रेडी टू ईट) का वितरण यथावत जारी रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा।

(सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

21/3/20